दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

धन बीमा पॉलिसी

जबकि इसकी अनुसूची में वर्णित बीमाधारक ने (जिसे इसके बाद बीमाधारक कहा जाएगा) एक प्रस्ताव एवं घोषणा द्वारा जो इस संविदा का आधार होंगे एवं पॉलिसी में समाविष्ट समझे जाएंगे। दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को (जिसे इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) इसमें अंतर्विष्ट बीमा हेतु आवेदन किया है तथा इसकी अनुसूची में बताई गई अवधि या आगे कोई अवधि जिस हेतु कंपनी इस पॉलिसी के नवीनीकरण या बढ़ाए जाने के लिए भुगतान स्वीकार कर सकती है। (अवधि) के दौरान ऐसे बीमा के प्रतिफल के तौर पर उक्त अनुसूची में बताया गया प्रीमियम अदा किया गया है।

कंपनी एतद्द्वारा, सहमत है कि इसमें अंतर्विष्ट इस पर पृष्ठांकित या अन्यथा अभिव्यक्त उपबंधों, शर्तों एवं अपवर्जनों के अधीन बीमाधारक को मार्गस्थ धन की बीमाधारक या उसके प्राधिकृत कर्मी (कर्मियों द्वारा लूटपाट, चोरी या आकस्मिक कारण से हानि होने पर भरपाई करेगी। पुन: यदि बीमाधारक के परिसर में तिजोरी या स्ट्रांगरूम, जिसे अनुसूची में और स्पष्ट किया गया है, में एवं धन सेंधमारी, गृहभेदन, लूटपाट या बटमारी (होल्ड अप) ये हुई हानि की भी क्षतिपूर्ति करेगी बशर्ते कि सदैव किसी एक हानि के लिए कंपनी का दायित्व उक्त अनुसूची से संबंधित खंड के आगे दर्शाई गई राशि से किसी भी मामले में अधिक न हो।

परिभाषा

धन के अर्थ में शामिल होगा नकदी, बैंक ड्राफ्ट, करेंसी नोट, ट्रेजरी नोट, चैक, पोस्टल आर्डर एवं चालू डाक टिकटें

बैंक के अर्थ में शामिल होंगे प्रत्येक प्रकार के बैंक, डाकखाने तथा सरकारी ट्रेजरी

अपवर्जन

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में उत्तरदायी नही होगी:

1. गलती या चूक के कारण

2. बीमाधारक व बीमाधारक के किसी प्राधिकृत कर्मी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को सौंपे गए धन की हानि।
3. धन की हानि जहां बीमाधारक या उसका कर्मी मुख्य या सहायक तौर पर संलग्न हों, सिवाए उन हानियों के जो बीमाधारक के नगदी लाने-ले-जाने वाले कर्मी बेईमानी या धोखाधड़ी से हुई जो धन लाते-ले-जाते समय हुई हो तथा जिसका 48 घंटों के भीतर बताया गया हो।
4. कार्यालय अवधि के बाद परिसर में ही होने वाली हानि जब तक कि धन तालाबंद तिजोरी या स्ट्रांग रूम में न हो।
5. दंगा, हड़ताल एवं आतंकवादी गतिविधियों से हुई हानि
6. भाड़ा संविदा के अंतर्गत ले जाया जा रहा धन तथा असंलग्न वाहन से धन की चोरी।
7. तिजोरी या स्ट्रांग रूम से धन की हानि जो सेफ या स्ट्रांग रूम में चाभी का इस्तेमाल कर या बीमाधारक के पास से उसकी डुप्लीकेट चाभी लगाकर हुई हो जब तक कि वह चाभी धमकाकर या बलपूर्वक न प्राप्त की गई हो।
8. युद्ध, युद्धराम, कृत्य, विदेशी शत्रुओं के कृत्य, विद्वेशताएं (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं) गृह युद्ध, बगावत, राजद्रोह, जन उत्तेजना, सैनिक या हथियाई गई सत्ता, सीज़र, बंदी, जब्ती, गिरफ्तारियां, प्रतिबंध एवं रोक रखने की क्रिया जो किसी सरकार या अन्य प्राधिकरण के आदेश से हो, से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उद्भूत हानि या क्षति किसी कार्रवाई, मुकदमें या अन्य कार्यवाही में जहां कंपनी आरोपित करे कि उपरोक्त प्रावधानों के कारण कोई हानि या क्षति इस बीमा में आबंटित नहीं है तो ऐसी हानि या क्षति को आवरित सिद्ध करने का दायित्व बीमाधारक पर होगा।
9. किसी भी संपत्ति को कोई हानि, विनाश या क्षति या उससे उत्पन्न या परिणामस्वरूप किसी प्रकार की हानि या खर्च या परिणामी हानि एवं किसी भी प्रकार का कोई विधिक दायित्व जो आयनीकृत विकिरण या रेडियोधर्मिता द्वारा संक्रमण, चाहे सिी स्त्रोत से हो, से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: जनित या उसमें अंशदाता या उससे उद्भूत हो।
10. नाभिकीय अस्त्र सामग्री से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जनित या उसमें अंशदाता या उद्भूत कोई हानि या विनाश।
11. किसी भी प्रकार की कोई परिणामी हानि या विधिक के दायित्व।
12. बीमाधारक द्वारा या उसके अंशदान से ऐसा कुछ भी करना या उसका कारण होना जिससे जोखिम अनावश्यक रूप से बड़े, उसके कारण हानि या क्षति।

<u>विशेष शर्तें</u>

1. **<u>चाबियों एवं बहियों का रखरखाव</u>:** बीमाधारक तिजोरी या स्ट्रांगरूप में एवं जाने वाली नगदी की राशि का दैनिक हिसाब रखेगा एवं ऐसे रिकार्ड को उक्त तिजोरी या स्ट्रांगरूम के अतिरिक्त किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा तथा इस पॉलिसी के अंतर्गत दावे के

समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, तिजोरी या स्ट्रांगरूम की चाबियां कार्यालय अवधि के बाद परिसर में न छोड़ी जाएं जब तक कि बीमाधारक या उसका कोई प्राधिकृत कर्मी परिसर में रहा न हो, ऐसे मामले में यदि चाबियां परिसर छोड़नी हों तो तिजोरी या स्ट्रांगरूम से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर जमा कर दी जाएं।

2. **<u>प्रीमियम समायोजन:</u>** प्रीमियम जहां तक कि मार्गस्थ नगदी से संबंधित है का विनियमन बीमे को प्रत्येक अवधि के दौरान ऐसे मार्गस्थ धन की राशि से किया जाए। इस उद्देश्य हेतु बीमाधारक की बहियों में समुचित रिकार्ड रखा जाए जिसे कि बीमाधारक सभी संगत समय पर कंपनी को जांचने देगा, बीमा की प्रत्येक अवधि की समाप्ति उपरांत एक महीने के अंदर बीमाधारक इस दौरान ऐसे सभी मार्गस्थ धन की राशि का सही लेखा-जोखा कंपनी को प्रस्तुत करेगा एवं यदि यह आंकलित राशि उस अनुमानित राशि से भिन्न हो जिस पर प्रीमियम अदा किया गया हो तो उस अंतर का समायोजन को एक समानुपात राशि बीमाधारक द्वारा कंपनी को अदा कर या उसे कंपनी द्वारा लौटाकर जैसा भी मामला हो, किया जाएगा। परंतु किसी भी मामले में यह पुनर्अदायगी अनुसूची में बताए गए प्रीमियम के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक न हो तथा प्रीमियम प्रतिधारण न्यूनतम रू.30/- से कम न हो।
3. **<u>वसूली के अधिकार:</u>** कंपनी को पूर्ण अधिकार है कि वह बीमाधारक के नाम से, जैसा कि यह खोए हुए धन की बरामदगी व वसूली करने के या खोए हुए धन के संबंध में पुन: भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जैसा कि वह आवश्यक समझें कार्रवाई करें तथा कार्यवाहियों पर नियंत्रण करें तथा ऐसी कार्यवाही के संबंध में कंपनी द्वारा तर्कसंगत रूप से यथा अपेक्षित ऐसी सभी सहायता बीमाधारक कंपनी के खर्च पर उपलब्ध कराएगा एवं किसी या पूरे धन की वसूली होने की अवस्था में, बीमाधारक के लिए आवश्यक होगा कि वह प्रतिपूर्ति द्वारा अनुपात राशि उसी अनुपात में कंपनी को लौटा देगा जो अनुपात उस राशि का खोए हुए धन की कुल राशि से हो।

<u>सामान्य</u>

1. **<u>सूचना:</u>** इस पॉलिसी द्वार अपेक्षित कंपनी को प्रत्येक नोटिस एवं सूचना कंपनी के उस कार्यालय को जिसने बीमा किया है लिखित में दी जाए।
2. **<u>प्रकटन का दायित्व:</u>** गलत प्रतिवेदन, गलत विवरण या किसी वस्तुगत तथ्य को न प्रकट किए जाने की अवस्था में यह पॉलिसी निरस्त हो जाएगी तथा इस पर अदा किया गया समस्त प्रीमियम जब्त हो जाएगा।
3. **<u>उपयुक्त देखभाल:</u>** बीमाधारक दुर्घटना, हानि या क्षति के विरूद्ध बीमित संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाएगा।
4. **<u>दावा प्रक्रिया</u>**: इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी दावे को उत्पन्न करने वाली घटना या उसकी संभावना रखने वाली घटना के होने पर, जैसे ही वह बीमाधारक की जानकारी में

आए:

क) बीमाधारक पुलिस को तथा के पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय को तुरंत सूचना देगा एवं दोषी व्यक्ति को खोजने तथा खोई हुई नकदी की वसूली करने हेतु सभी संभव प्रयास करेगा व

ख) बीमाधारक कंपनी को हानि का एक विस्तृत, लिखित विवरण, जिस तिथि को यह घटना उसकी जानकारी में आई उसके 14 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

ग) बीमाधारक दावे को सिद्ध करने के लिए सभी स्पष्टीकरण वाउचर, मालिकाना दस्तावेज एवम् अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने एवम् कंपनी यदि वह अपेक्षित समझे तो बीमाधारक या उसके परिवार के किसी सदस्य या कर्मी/कर्मियों का बयान समर्थनकारी साक्ष्य के तौर पर ले सकती है।

5. **<u>अंशदान</u>:** यदि इस पॉलिसी द्वारा अवतरित कोई हानि या क्षति होने के समय यदि उसी संपत्ति को आवरित करने वाला, चाहे बीमाधारक द्वारा लिया गया हो या नही, किसी भी प्रकृति का अन्य कोई बीमा विद्यमान है तो कंपनी किसी हानि या क्षति के अपने दर योग्य अनुपात से अधिक का भुगतान करने या अंशदान करने को बाध्य नहीं होगी।
6. **<u>धोखाधड़ी</u>**: यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई दावा किसी प्रकार कपटपूर्ण हे या बीमाधारक यर उसके नाते से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए कोई कपटपूर्ण साधन या तरीका अपनाया गया है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ एवं अधिकार जब्त हो जाएंगे।
7. **<u>निरस्तीकरण</u>**: कंपनी बीमाधारक को उसके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सात दिन का लिखित नोटिस देते हुए इस पॉलिसी को किसी भी समय निरस्त कर सकती है। ऐसा होने पर अनुसूची के खंड-1 के संबंध में भुगतांकित प्रीमियम बीमा अवधि के दौरान मार्गस्थ वास्तविक राशि के आधार पर समायोजित कर लिया जाएगा, एवं खंड-2 के संबंध में समानुपात आधार पर समायोजित होगा। बीमाधारक भी यह पॉलिसी कंपनी को सात दिन का लिखित नोटिस देते हुए निरस्त कर सकता है, ऐसा होने पर, खंड-1 के अंतर्गत प्रीमियम बीमा अवधि के दौरान वास्तविक राशि के आधार पर समायोजित होगा, एवम् खंड-2 के अंतर्गत कंपनी के प्रचलित अल्पावधि दरों पर समायोजित होगा।
8. **<u>'यदि</u>** इस पॉलिसी के अधीन अदा की जाने वाली राशि के विषय में कोई मतभेद (दायिता अन्यथा मान्य होने पर) हो तो ऐसे मतभेद को अन्य सभी मुद्दों से निरपेक्ष होकर मतभेद रखने वाले पक्षों द्वारा लिखित में नियुक्त मध्यस्थ के पास निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा अथवा यदि वे एक मध्यस्थ के कि राजी न हों तो ऐसे मतभेद को बतौर मध्यस्थ दो निरपेक्ष व्यक्तियों के निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा जिनमें से एक की नियुक्ति प्रत्सेक पक्ष क्षरा लिखित में की जाएगी तथा ऐसी नियुक्ति समय-समय पर यथासंशोधित और तत्समय लागू मध्यस्थता अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार एकपक्ष दूसरे पक्ष द्वारा इस विषय में लिखित अपेक्षा करने के दो माह के भीतर करेगा।

यदि कोई एक पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करने संबंधी सूचना को लिखित में प्राप्त करने के बाद दो कैलेंडर माह के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने से इन्कार करता है अथवा असमर्थ रहता है तो अन्य पक्ष एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के वास्ते स्वतंत्र रहेगा तथा मध्यस्थों में असहमति होने की स्थिति में मतभेद को अधिनिर्णायक के पास निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा तथा वह माध्यस्थम संबंधी कार्यवाही शुरू करने से पहले उनके द्वारा नियुक्त कर लिया जाएगा और वह मध्यस्थों की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

यह स्पष्टतया स्वीकृत किया जाता तथा समझा जाता है कि जेसा यहां पहले प्रावधान किया गया है, यदि कंपनी ने इस पॉलिसी के अंतर्गत अथवा इसके संबंध में दायित्व स्वीकार नहीं किया है, अथवा मतभेद माना है तो कोई भी विवाद अथवा मतभेद मध्यस्थ को नहीं भेजा जाएगा।

एतद्द्वारा यह स्पष्ट रूप से अनुबद्ध तथा घोषित किया जाता है कि इस पॉलिसी पर किसी कार्रवाई के अधिकार अथवा मुकदमा दायर करने की यह एक पूर्ववर्ती शर्त होगी कि हानि अथवा क्षति की धनराशि के संबंध में ऐसे मध्यस्थ, मध्यस्थों का निर्णय पहले ही ले लिया जाएगा।

एतदद्वारा आगे यह भी स्पष्ट रूप से अनुबद्ध तथा घोषित किया जाता है कि यदि एतद् अंतर्गत कंपनी बीमाधारक को किसी दावें के लिए अपने दायित्व को अस्वीकार कर देती है तथा ऐसा दावा, ऐसी दावा अस्वीकृति की तिथि से कैलेंडर के 12 माह के भीतर किसी नयालय में मुकदमे का विषय नहीं बनता है तो दावा सभी उद्देश्यों के लिए अपवर्जित हुआ माना जाएगा तथा उसके पश्चात् एतद् अंतर्गत वसूली योग्य नहीं होगा।

9. **<u>उपबंधों एवं नियमों का अनुपालन</u>**: इस पॉलिसी के उपबंधों, शर्तों एवं पृष्ठांकनों का उचित पालन एवं अनुपालन, जहां तक कि उनका संबंध बीमाधारक द्वारा करणीय या अनुपालनल की जाने वाली किसी बात से है, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भुगतान करने हेतु कंपनी के किसी दायित्व की पूर्ववर्ती शर्तें होंगी।
10. **<u>नवीनीकरण सूचना</u>**: कंपनी कोई नवीनीकरण सूचना जारी करने हेतु बाध्य न होगी न ही उसके अंतर्गत नवीनीकृत प्रीमियम स्वीकारने को बाध्य होगी।

<u>नोट:</u>

प्रीमियम चेक के अस्वीकृत होने की स्थिति में पॉलिसी स्वचालित रूप से प्रारंभ से ही रद्द हो जाती है।

अगर इस नीति के किसी भी शब्द या पैरा के कानूनी व्याख्या के बारे में कोई विवाद है तो अंग्रेजी संस्करण को सही और विधिमान्य होगा।

दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय:ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002

‘मनी-इन-ट्रांजिट’ दावा फार्म

फार्म के इस रूप को दायित्व की स्वीकारोक्ति के रूप में न लें

(दावाकर्ता द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न)

जारीकर्ता कार्यालय

1. बीमाकर्ता का पूरा नाम	
2. पता	
3. व्यवसाय	
4. हानि का कब पता चला	
5. उन स्थानों का नाम जिनके बीच में धन ट्रांजिट किया गया था।	
6. कब और कहां हानि हुई	
7. हानि के समय धन किसकी देख-रेख में था।	
8. धन कैसे ले जाया गया (जैसे - बैग, बक्सा इत्यादि) और कितनी संख्या में।	
9. उस यातायात साधन का नाम बताओ जिसका प्रयोग धन ले जाने में किया गया।	
10. क्या धन ले जाने वाले व्यक्तियों के साथ सशस्त्र गार्ड था। यदि नहीं, तो क्या सुरक्षा अपनाई गई थी। क्या कोई	

व्यवस्था की गई थी।	
11. क्या धन ले जाने वालों ने कोई फिडलिटि गारंटी पॉलिसी ली थी। यदि ली थी तो उसकी बीमित राशि व बीमाकर्ता का नाम लिखें।	
12. हानि/क्षति की परिस्थितियों का पूर्ण विवरण दें।	
13. कितना मात्रा में धन ले जाया गया	
14. हानि की राशि कितनी है।	
15. क्या आपने पुलिस को सूचित किया है। यदि किया, तो कहां और कब।	
16. खोए हुए धन को पाने के लिए क्या प्रयास किए गए।	
17. क्या उस धन का बीमा किसी अन्य बीमा कंपनी से भी था। यदि था, तो पूर्ण विवरण दें।	
18. क्या इसी प्रकार की हानि पहले कभी हुई है। यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें।	

मैं .....घोषिणा करता हूँ कि पूर्वगामी वक्तव्य मैरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं, इस प्रकार के अन्य भागों में वर्णित आलेखों और संपत्ति को वर्णित परिस्थिति में खो दिया गया/चोरी किया गया था या क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसा लेख और संपत्ति नाम के व्यक्तियों के हैं, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे मालिक के रूप में, बंधक, ट्रस्टी या अन्यथा।

बीमाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :